

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल राजगीर

पत्रांक..... 348 / राजगीर, दिनांक... 31.5.21

प्रेषक,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, राजगीर
रोवा में,
प्रकाश कन्सट्रक्शन
नाहुब राजगीर नालन्दा।

विषय :- MMGSY(Gen) MMGSY (SC), GTSNY, NABARD योजनान्तर्गत Goriya More to Goriya Bigha, Ben Parwalpur Path to Ben Mahadalit Tola, Bihar Parwalpur Road to Lalwan Bigha, L034 to Khemji Bigha, Silao Giriyak Road to Dumari पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

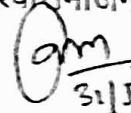
प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक- 221 दिनांक- 08.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या-65/SBD/2015-16,97/F2/2015-16.21/SBD/2017-18, 12/SBD/2017-18, 36/SBD/2017-18 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पत्ति का ह्रास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार हैं।

आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा चौथे दिन दिनांक 04.06.2021 को पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमें कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थित नहीं रहने पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरांत एकरारनामा के Clause of Contract के Clause No- 03&17 के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए अग्रघन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की वसूली आपके जमानत एवं अन्य जप्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन


31/5/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, राजगीर
31.5.21